न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00212RAAJodhpur2020-102RTA225 Sahiram Vs Ramnarayan etc

सहीराम पुत्र श्री जसुराम, जाति विश्नोई, निवासी-
हडमानसागर, तापू, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. रामनारायण पुत्र श्री सुखराम
02. हरचंदराम पुत्र श्री सुखराम
03. रविन्द्र पुत्र श्री सुखराज
04. रामीदेवी पत्नी श्री सुखराज
05. पुनाराम पुत्र श्री जसुराम
06. जयकिशन पुत्र श्री जसुराम
07. जगमालराम पुत्र श्री जसुराम
08. जैती पुत्री श्री जसुराम
09. केसी पत्नी श्री जसुराम
    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- हडमानसागर, तहसील तापू, जिला जोधपुर।
10. ग्राम पंचायत गींगाला, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
11. श्रीमान् तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 अगस्त 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 898/2020 सहीराम बनाम रामनारायण इत्यादि

उपस्थित-

श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलांट
श्री रामसिंह भादू, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से नौ{अंडरटेकिंग}

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 10 अगस्त 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 898/2020 अनवान सहीराम बनाम रामनारायण इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 अगस्त 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 793/10 रकबा10.16 बीघा, खसरा नं. 793/14 रकबा 19.07 बीघा, खसरा नं. 793/19 रकबा 10.02 बीघा, खसरा नं. 764/5 रकबा 12.07 बीघा ग्राम हनुमान सागर तहसील ओसियां के संबंध धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अगस्त 2020 के जरिये संशोधित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल कारित की गई है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर अधिकार होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थगन को खारिज करने में भारी भूल की है। रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 को स्वीकार करने में भारी भूल की गई है, क्योकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी में अपने निहित हिस्से से अधिक पर निर्माण करने लगा है तथा बंटवाड़े का वाद विचाराधीन होने पर उक्त भूमि पर विशिष्ट भाग पर निर्माण नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या एक का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवार के तहत निर्माण कराना चाहता है, परन्तु अप्रार्थीगण का पक्का मकान पूर्व में बना रखा है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट्स स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अगस्त 2020 को खारिज फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी, अवैध, अतिक्रमण, कब्जा, तोड़फोड़ निर्माण अथवा अन्य व्ययन ना तो स्वयं करे और न ही अन्य अपने रिश्तेदार, मुख्त्यार, एजेंट, ठेकेदार, कारीगर, मजदूर आदि से करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

रेस्पोडेंट संख्या एक नौ की ओर से अधिवक्ता श्री रामसिंह भादू ने निवेदन किया कि वह विचारण न्यायालय में उक्त रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता नियुक्त थे। अदालत हाजा के समक्ष भी दिनांक 24.11.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित होकर उक्त रेस्पोडेंट्स की ओर से अंडरटेकिंग प्रस्तुत की है। अतः अंडरटेकिंग के आधार पर बहस में शामिल किया जावे।

इस संदर्भ में न्यायालय हाजा की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.11.2021 के अवलोकन मुताबिक अधिवक्ता श्री रामसिंह भादू द्वारा रेस्पोडेंट्स संख्या एक से नौ की ओर से अंडरटेकिंग दिया जाना पाया जाता है। लिहाजा प्रकरण में पक्षकारान् के हित को देखते हुए न्याय हित में अधिवक्ता श्री रामसिंह भादू को बहस में भाग लेने की अनुमति दी गई।

रेस्पोडेंट संख्या एक से नौ के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास चयनित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए केवल रेस्पोडेंट संख्या एक को अपने हक हिस्से की भूमि में आवास निर्माण की छूट प्रदान करने का आदेश पारित किया है। शेष आदेश का यथावत रखा है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। कानूनन सहखातेदारी की भूमि में सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट संख्या एक को विशेष भू-भाग पर निर्माण की छूट प्रदान की है, जिसे प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इसलिए मामले के अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप सें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 898/2020 अनवान सहीराम बनाम रामनारायण इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 अगस्त 2020 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। साथ ही रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जाता है कि वे आज दिनांक से दो माह की अवधि तक वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार कर निर्माण नहीं करे। दो माह तक विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किये पर रेस्पोडेंट्स निर्माण हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.08.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर